



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(2)परावि/प्रशा.1/आर.आर.डी.एस-2012/संस्था/2015/

759

जयपुर दिनांक:- 8-3-18

—:आदेश:—

श्री प्रकाश सिंह शेखावत प्राथमिकी अधीन अधिकारी, राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा हस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति रानीवाडा जिला जालौर द्वारा उनके पूर्व विभाग (वाणिज्य कर विभाग) में निहित लिखन के आधार पर राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में स्थायीकरण नहीं होने से वाणिज्य कर विभाग हेतु कार्यमुक्त करने के लिये निवेदन किया है।

अतः श्री शेखावत को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर (वाणिज्य कर विभाग) में कार्यग्रहण हेतु राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।  
यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(इकबाल खान)  
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिनिधि विभागीय को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग को उनके आदेश क्रमांक सआ/व/संस्था/अल/2015 दिनांक 25.11.2015 के क्रम में सूचनार्थ।
8. संभागीय आयुक्त जोधपुर।
9. निजी सचिव, जालौर।
10. अति / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालौर।
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति रानीवाडा जिला जालौर।
12. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
13. ए.सी.पी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
14. आदेश पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)